**भारत सरकार**

**गृह मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2962**

**दिनांक 21.03.2018/30 फाल्गुन, 1939 (शक) को उत्तर के लिए**

**हिरासत में मृत्यु**

**2962. श्री हुसैन दलवईः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों में हिरासत में मृत्यु होने की संख्या का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, जिनमें व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा रिमांड पर पुलिस हिरासत में भेजा गया था, तथा व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा रिमांड पर पुलिस हिरासत में नहीं भेजा गया था;**

**(ख) हिरासत में मृत्यु होने के आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर मुकदमों, ऐसे मुकदमों जिनमें अभियोग की कार्यवाही आरंभ हो गई थी और ऐसे मुकदमों में दोषसिद्धी तथा रिहा किए जाने का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;**

**(ग) सरकार ने यातना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय का अनुसमर्थन क्यों नहीं किया है, जिसमें हिरासत में यातना दिए जाने तथा मृत्यु होने को भी शामिल किया गया है; और**

**(घ) ऐसी घटनाओं को रोकने तथा हिरासत में मृत्यु के मामलों में कार्यवाही करने के लिए सरकार कब कानून लाएगी?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर)**

(क): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्राधिकारियों को प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के संबंध में दर्ज मामलों की राज्य-वार संख्या तथा पुलिस हिरासत में हुई कथित मौंतों के बारे में शिकायत के आधार पर दर्ज मामलों को दर्शाने वाला विवरण क्रमशः अनुलग्नक ‘क’ तथा ‘ख’ में दिया गया है। आयोग न्यायालय द्वारा रिमांड पर पुलिस हिरासत में भेजे गए अथवा न्यायालय द्वारा रिमांड पर पुलिस हिरासत में नहीं भेजे गए व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई पृथक रिकार्ड नहीं रखता है।

(ख): अवधि के दौरान, आयोग ने केवल चार मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की परन्तु किसी भी मामले में अभियोग की अनुशंसा नहीं की गई। ऐसे राज्यों तथा वर्ष जहां पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाईयों की अनुशंसा की गई, का ब्योरा निम्नानुसार हैः-

-2-

रा.स.अता.प्र.सं.-2962

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| उत्तर प्रदेश | 2015-16 | 01 |
| उत्तराखंड | 2015-16 | 01 |
| मेघालय | 2015-16 | 01 |
| गुजरात | 2016-17 | 01 |

आयोग हिरासत में मृत्यु के आरोपी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध दायर मामलों, ऐसे मामलों में उनकी दोषसिद्धि तथा बरी होने के कोई पृथक रिकॉर्ड नहीं रखता है।

(ग): विधायी विभाग द्वारा एक मसौदा निरूपण तैयार किया गया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ‘यातना’ और ‘लोक सेवक’ शब्द को परिभाषित करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 330 और 331 में संशोधन करना प्रार्थित है। मसौदा, निरूपण दिनांक 01.02.2017 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी अंतिम टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। इस संबंध में, टिप्पणियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त, विद्वान सॉलिसिटर जनरल की सलाह पर, यातना संबंधी मसौदा निरूपण को दिनांक 31.05.2017 को प्रस्तावित संशोधनों पर इसकी उपयुक्तता और विधायी आशय के संबंध में भारत के विधि आयोग को उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने के लिए अग्रेषित किया गया था। तत्पश्चात, भारत के विधि आयोग ने “यातना का निवारण विधेयक, 2017” नामक एक मसौदा विधेयक के साथ “यातना और अन्य प्रकार की क्रूरता, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार अथवा सजा के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के कार्यान्वयन” पर अपनी 273वीं रिपोर्ट दिनांक 30.10.2017 को प्रस्तुत की है। चूंकि, दांडिक विधि समवर्ती सूची में शामिल है, अत:, मसौदा विधेयक के साथ विधि आयोग की 273वीं रिपोर्ट को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से शीघ्र विचार/सिफारिशें प्राप्त करने के लिए उन्हें 28.02.2018 को परिचालित की गयी है।

(घ): दांडिक विधि में परिवर्तन एक सतत और परिवर्तनशील प्रक्रिया है। हिरासत में किसी व्यक्ति की सुरक्षा करने के लिए विधि में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने राज्य प्राधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने पर अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

---

रा.स.अता.प्र.सं.2962

अनुलग्नक-ख

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| पिछले तीन वर्षों के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के संबंध में राज्य/वार पंजीकृत, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण | | | | | | | | | |
| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **01/04/2014 से 31/03/2015** | | | **03/04/2015 से 31/03/2016** | | | **01/04/2016 से 31/03/2017** | | |
|  | **दर्ज मामलों की संख्या** | **निपटाए गए** | **लबित** | **दर्ज मामलों की संख्या** | **निपटाए गए** | **लबित** | **दर्ज मामलों की संख्या** | **निपटाए गए** | **लबित** |
| आन्ध्र प्रदेश | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अरुणाचल प्रदेश | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| असम | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| बिहार | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| गोवा | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| गुजरात | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| हरियाणा | 5 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| हिमाचल प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| जम्मू और कश्मीर | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कर्नाटक | 1 | 1 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| केरल | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| मध्य प्रदेश | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| कर्नाटक | 11 | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मेघालय | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| नागालैंड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ओडिशा | 12 | 12 | 0 | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| पंजाब | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| राजस्थान | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| तमिलनाडु | 13 | 11 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| त्रिपुरा | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| उत्तर प्रदेश | 22 | 14 | 8 | 41 | 23 | 18 | 8 | 2 | 6 |
| पश्चिम बंगाल | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दमण और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| दिल्ली | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| छत्तीसगढ़ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| झारखंड | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| उत्तराखंड | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| तेलंगाना | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| **कुल योग** | **108** | **88** | **20** | **153** | **97** | **56** | **32** | **12** | **20** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| पिछले तीन वर्षों के दौरान पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के संबंध में राज्य/वार पंजीकृत, निपटाए गए और लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण | | | | | | | | | |  |
| **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र** | **01/04/2014 से 31/03/2015** | | | **03/04/2015 से 31/03/2016** | | | **01/04/2016 से 31/03/2017** | | |  |
| **दर्ज मामलों की संख्या** | **निपटाए गए** | **लबित** | **दर्ज मामलों की संख्या** | **निपटाए गए** | **लबित** | **दर्ज मामलों की संख्या** | **निपटाए गए** | **लबित** |  |
| आन्ध्र प्रदेश | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
| अरुणाचल प्रदेश | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |
| असम | 7 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 |  |
| बिहार | 6 | 1 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 |  |
| गोवा | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| गुजरात | 13 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 |  |
| हरियाणा | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 |  |
| हिमाचल प्रदेश | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| जम्मू और कश्मीर | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| कर्नाटक | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 |  |
| केरल | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |  |
| मध्य प्रदेश | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 | 8 | 2 |  |
| कर्नाटक | 26 | 16 | 10 | 24 | 21 | 3 | 25 | 20 | 5 |  |
| मणिपुर | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| मेघालय | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |
| मिजोरम | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| नागालैंड | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |
| ओडिशा | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |
| पंजाब | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 |  |
| राजस्थान | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 |  |
| सिक्किम | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| तमिलनाडु | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 |  |
| त्रिपुरा | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| उत्तर प्रदेश | 10 | 5 | 5 | 15 | 6 | 9 | 11 | 2 | 9 |  |
| पश्चिम बंगाल | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 9 | 7 | 2 |  |
| अंडमान और निकोबार | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| चंडीगढ़ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| दादरा और नगर हवेली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| दमण और दीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| दिल्ली | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |  |
| लक्षद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| पुदुचेरी | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| छत्तीसगढ़ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 |  |
| झारखंड | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 |  |
| उत्तराखंड | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| तेलंगाना | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 |  |
| **कुल** | **130** | **72** | **58** | **151** | **84** | **67** | **145** | **78** | **67** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

अनुलगग्नक-क

रा.स.अता.प्र.सं.2962